पेश हो। [signature]

13/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पैरोकार सरकार का जवाब मय नक्शा व प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती पत्रावली में संलग्न है। प्र०सं० 2 का जवाब संलग्न पत्रावली है। बहस उभयपक्ष गत पेशी पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली में प्रस्तुत जवाब, जमाबंदी नक्शे इत्यादि दस्तावेज का अवलोकन व मनन किया गया। प्र०सं० 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब, जमाबंदी व नक्शे के अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि खसरा नं. 2370/582 का जमाबंदी में दर्ज रकबा 3.7809 है एवं रकबा बरारी करने पर 3.6797 रकबा आया, जो कि 0.1012 रकबा कमी दर्शायी गयी है एवं खसरा नं. 582/2 का जमाबंदी में दर्ज रकबा 2.3520 है, जबकि रकबा बरारी करने पर 2.4532 रकबा होता है, जो कि 0.1012 रकबा बेशी होता है। इस प्रकार जमाबन्दी एवं नक्शे में भिन्नता है। अप्रार्थी सं० 2 द्वारा भी पत्रावली में विस्तृत आपत्ति प्रस्तुत की हुई है, जिस पर बहस सुनी जा चुकी है। सेटलमेंट से पूर्व का नक्शा पत्रावली में पेश नहीं है। ~~कि वस्तुतः~~ अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि वस्तुतः तरमीम दुरुस्ती न्यायोचित होकर तरमीम दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित एवं अति आवश्यक है। फलतः प्रस्तुत बहस, उपलब्ध साक्ष्य पत्रावली के अवलोकन से तरमीम दुरुस्ती वाजिब व न्यायोचित सिद्ध नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण तनकीमात कायम की जाकर बयान लेखबद्ध किये जाकर साक्ष्य प्रमाण इत्यादि के आधार पर उभयपक्ष की अन्तिम बहस उपरान्त ही न्याय की विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णित किया जा सकता है, जो कि धारा 136 LR Act के तहत निर्णय न्यायसंगत नहीं है। अतः धारा 136 LR Act में कवर नहीं होने के कारण प्रा०पत्र अ.धा 136 LR Act एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर बाद न्यायालय में सुनाया जाकर व हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
आँमर नेक..

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.02.05 14:53:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner